राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1234/2014/बीकानेर

मैसर्स सारस्वा कंस्ट्रक्शन कम्पनी
सूडसर, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

1. उपायुक्त (प्रशासन),
   वाणिज्यिक कर विभाग,
   बीकानेर।
2. सहायक आयुक्त,
   वाणिज्यिक कर विभाग,
   वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, बीकानेर। .....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक
अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरना,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 02.06.2016

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या प.4/(303)कर/34/उपा–बी/14–15 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 19.05.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, बीकानेर (जिसे आगे **"निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 34(3) सपठित धारा 24 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 19.07.2013 तथा कायम की मांग राशि रूपये 4,06,390/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी फर्म का कर निर्धारण वर्ष 2009–10 का एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 17.02.2012 को पारित किया गया। अपीलार्थी फर्म द्वारा उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष धारा 34 में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे दिनांक 22.05.2013 को प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार कर, कर निर्धारण हेतु संबंधित निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके कार्यालय में दिनांक 17.06.2013 को उपस्थित होने के आदेश प्रदान किये गये। निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश अन्तर्गत धारा 34 में दिनांक 29.07.2013 को एकतरफा कर

लगातार.....2

निर्धारण आदेश पारित कर अपीलार्थी पर 4,06,390/– रूपये की मांग राशि कायम की। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसकों अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 19.05.2014 द्वारा अस्वीकार कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक ने बहस करते हुए तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत है। अपीलार्थी के अभिभाषक श्री इमीचंद पुनिया के विरूद्ध अपने भांजे की पत्नी की हत्या का मुकदमा दर्ज होने के कारण उक्त वाद में व्यस्त होने के कारण दिनांक 19.07.2013 को निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके इस कारण निर्धारण अधिकारी द्वारा एकतरफा कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थी के अभिभाषक ने आश्वासन दिया था कि निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर कर निर्धारण आदेश कि कार्यवाही सम्पन्न करा देगें। अपीलार्थी के अभिभाषक श्री इमीचंद पुनिया के साथ उक्त घटना की जानकारी के अभाव के कारण अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। अपीलीय अधिकारी का आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धान्त 1981 एआईआर (एस.सी) 1400 में यह प्रतिपादित किया गया है कि अभिभाषक की गलती एवं उसकी भूल के कारण अपीलार्थी को दण्डित नहीं किया जाना चाहिये। अतः अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी ने उचित आधार पर व्यवहारी की अपील अस्वीकार की है। उन्होंने तर्क दिया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा सही रूप से मांग राशि का आरोपण किया गया है। अतः उन्होंने मांग राशि को उचित बतलाते हुए अपीलार्थी की इस अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस सुननी गई एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन पर पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी के अभिभाषक के विरूद्ध हत्या व दहेज का प्रकरण दर्ज हुआ था। अपीलार्थी व्यवहारी का कथन है कि इस प्रकरण के चलते उनके अभिभाषक निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। इन परिस्थितियों में अभिभाषक की अनुपस्थिति पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (1981) ए.आई.आर 1400 (एस.सी.) में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि :–

लगातार.....3

"What is the fault of the party who having done everything in his power and expected of him would suffer because of the default of his acvocate. If we reject this appeal, as Mr. A.K. Sanghi invited us to do, the only one who would suffer would not be the lawyer who did not appear but the party whose interest he represented. The problem that agitates us is whether it is proper that the party should suffer for the inaction, deliberate omission, or misdemeanor of his/agent. The answer obviously is in the negative. May be that the learned advocate absented himself deliberately or intentionally."

अतः अभिभाषक की किसी भी कारण से अनुपस्थिति की सजा अपीलार्थी व्यवहारी को नहीं दी जा सकती है। तदनुरूप नियत पेशी पर व्यवहारी द्वारा दिये गये नोटिस की अनुपालना नहीं किये जाने के युक्तियुक्त कारण विद्यमान हैं अतः निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2013 तथा इसकी पुष्टि में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 19.05.2014 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण निर्धारण अधिकारी को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस आदेश की प्राप्ति के 60 दिवस में अपीलार्थी व्यवहारी को पुनः सुनकर कर निर्धारण आदेश पारित करे।

निर्णय प्रसारित किया गया।

2.6.2016

(मदन लाल)
सदस्य